



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50114

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 855 वर्ष 2026

राम प्रकाश

.....याचिकाकर्ता

बनाम

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इलाहाबाद तथा 7 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: क्षत्रेश कुमार, मुकेश कुमार तिवारी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव तथा प्रत्यर्थी-ग्राम सभा के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय को सुना गया।
- प्रस्तुत रिट याचिका निम्नलिखित राहत हेतु दाखिल की गई है :
“परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश अथवा निर्देश निर्गत किया जाए, जिसके द्वारा माननीय सदस्य (न्यायिक), बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इलाहाबाद को निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या आरईसी/4348/2024/कौशाम्बी में लंबित पुनःस्मरण प्रार्थना-पत्र, जो दिनांक 14.10.2024 से लंबित है, का यथाशीघ्र निर्णय करें, जिससे आवेदक को न्याय प्राप्त हो सके; अन्यथा आवेदक/विपक्षी संख्या 3 को अपूरणीय क्षति एवं हानि होगी।”
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता की ओर से विलम्ब की क्षमा प्रार्थना के साथ प्रस्तुत पुनःस्मरण प्रार्थना-पत्र बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के समक्ष लंबित है, अतः लंबित पुनःस्मरण प्रार्थना-पत्र के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश प्रदान किया जाए।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
- इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनःस्मरण प्रार्थना-पत्र समय-सीमा से परे है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. समय-सीमा से परे प्रस्तुत पुनःस्मरण प्रार्थना-पत्र के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई आधार स्थापित नहीं होता है।

7. तदनुसार, रिट याचिका **निरस्त** की जाती है।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

दिनांक : 11 मार्च, 2026

रमीज

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।